

सन्दर्भ सं०

/एसआईडीसी/आईए/एचओ/

दिनांक

—: कार्यालय आदेश:—

निदेशक मण्डल की दिनांक 21.10.11 को सम्पन्न 275वीं बैठक में गैर औद्योगिक भूखण्डों में कम्पनियों के मर्जर, अमलगमेशन आदि से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 06.7.06 को छोड़कर औद्योगिक भूखण्डों के सम्बन्ध में लागू पुनर्गठन की शेष नीति को यथावत लागू करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप गैर औद्योगिक भूखण्डों पर औद्योगिक भूखण्डों के पुनर्गठन से सम्बन्धित आपरेटिंग मैनुअल वर्ष 2011 की धारा 6.07, (उप-धारा 6.07 -III को छोड़कर) यथावत लागू रहेगी।

(देवी शंकर शर्मा)
अपर प्रबन्ध निदेशक

1587-88
संख्या 1587-~~88~~ आईडीसी-आईए-~~निर्देश-88~~

१८

दि० ०१-११-११

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औ० क्षे० अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।

(देवी शंकर शर्मा)
अपर प्रबन्ध निदेशक

१८